<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर</u>

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–159 / 2025 / 223 आर.टी.एक्ट (2025 / 159)

1. बाबूलाल पुत्र सुवाराम जाति बलाई निवासी–किशनपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. महेश कुमार रैगर पुत्र गोरधन लाल रैगर जाति रैगर निवासी रैगरों का मौहल्ला वार्ड नम्बर 14 बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. भगवान सहाय पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी–महिन्द्र सेज ग्राम भंभोरिया पालडी तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. कैलाश बैरवा पुत्र श्री नानगराम बैरवा जाति बैरवा निवासी जयजसपुरा तन अजयराजपुरा, जयपुर जिला जयपुर।
4. आर्यन निर्मल पुत्र श्री महेश कुमार जाति रैगर निवासी–रैगरों का मौहल्ला, बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. रामावतार बैरवा पुत्र श्री नानगराम बैरवा जाति बैरवा निवासी–जयजसपुर तन अजयराजपुरा, जयपुर जिला जयपुर।
6. सूरजमल रेशवाल पुत्र श्री नानगराम रेशवाल जाति बैरवा निवासी–जयजसपुरा तन अजयराजपुरा, जयपुर जिला जयपुर।
7. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद, राजस्व वाद संख्या 136 / 2024</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री वी0एस0खंगारोत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शिशिर कुमार विजयवर्गीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री रूपक शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–26.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 136 / 2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.9.2024 को प्रस्तुत किया गया जो दावा संख्या 136 / 2024 के रूप में दर्ज किया गया। दिनांक 7.11.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब दावा प्रस्तुत किया, प्रार्थी की तामील बाबत न्यायालय द्वारा यह लिखा गया कि प्रतिवादी संख्या 6 की तामील ट्रेक रिपोर्ट अनुसार प्रोपर हो चुकी है। बाद तामील सूचना अनुपस्थित है इसलिए

एकतरफा की जाती है एवं वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 136/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ, न ही अपीलार्थी को वाद की सुचना दी गई, अपीलार्थी को सर्वप्रथम प्रकरण की जानकारी दिनांक 9.1.2025 को हुई अपील प्रस्तुती हेतु दिनांक 7. 11.2024 से 7.1.2025 की मियाद निर्धारित थी, अपीलार्थी द्वारा दिनांक 9.1. 2025 को नकल लेकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया तो अधिवक्ता द्वारा उस आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की सलाह दी इस पर दिनांक 13.1.2025 को अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 18.3.2025 को खारिज फरमा दिया गया जिसकी नकल अपीलार्थी को दिनांक 20.3.2025 को सायं को प्राप्त हुई, दिनांक 21,22,23 का अवकाश था, दिनांक 24.3.2025 को अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया तो वर्तमान अधिवक्ता ने अवगत कराया की आप अपील प्रस्तुत करे इस पर उसी दिन दिनांक 24.3.2025 को अपील तैयार करवाई जाकर आज प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुती में हुई देरी उचित विधि सलाह के अभाव में हुई है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थनापत्र की चरण सं. 01 में वर्णित कथन जिस प्रकार अंकित किये गये है, में अपील प्रस्तुति के कथनों से इंकारी नहीं है, परन्तु ठोस आधारों पर प्रस्तुत किये जाने के कथन गलत व आधारहीन होने से अस्वीकार है। अपीलार्थी द्वारा आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 07–11–2024 से पूर्व के तामिल के सम्बन्ध में लिये गये समस्त आधार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–03–2025 के आदेश से निर्णित कर अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है, जिसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा उत्तरकर्ता प्रत्यार्थी की जानकारी में नहीं की गई है। यह विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि एक बार जहाँ आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के स्तर पर सुना जा चुका हो तो वह उसे नहीं सुने जाने का आधार पुनः नहीं ले सकता है। इसलिये पुनः अपील में उन तथ्यों को आक्षेपित करना प्रांग न्याय के सिद्धान्त से विबन्धित है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील कोई स्पष्ट व ठोस आधार नहीं होने से अपीलार्थी की अपील ही चलने योग्य नहीं है। प्रार्थनापत्र की चरण सं. 02 में वर्णित कथन जिस प्रकार अंकित किये गये है, गलत होने से अस्वीकार है। अपीलार्थी को मूल वाद की सूचना तामिल रजिस्टर में इन्द्राज कमांक 916 दिनांक 25–09–2024 के द्वारा जरिये डाक प्रेषित की गई थी, जिसकी तामिल दिनांक 08–10–2024 को अपीलार्थी को हो गई थी। अपीलार्थी द्वारा दावें में

उल्लेखित स्वंय पते के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को वाद की पूर्ण जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। जिसके बावजूद भी अपीलार्थी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलार्थी को दिनांक 09–01–2025 को किससे व कैसे प्रकरण के बारे में जानकारी हुई यह भी इस चरण में उल्लेखित नहीं किया है, जो अपूर्ण व बेबुनियाद होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। केवल कोई भी दिनांक अंकित कर दिया जाना धारा 5 मर्यादा अधिनियम की मंशा को पूर्ण नहीं करता है। अपीलार्थी द्वारा आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रकिया संहिता के सम्बन्ध में कार्यवाही के कथन न्यायालय के अभिलेख के अनुसार इंकारी नहीं है। परन्तु यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र को दिनांक 18–03–2025 को खारिज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने माना है कि अपीलार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अनुचित मंशा स्पष्ट प्रकट होती है। उक्त आदेश को अपीलार्थी द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। उक्त चरण में अधिवक्ता के सम्बन्ध में वर्णित कथनों का अपीलार्थी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में स्वंय की लापरवाही व जानबूझकर विलम्ब कारित किया है। यह स्पष्ट विधि है कि पक्षकार को स्वंय जागरूक रहना आवश्यक है। वह स्वंय की उपेक्षा का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। जिसकों क्षमा किये जाने का कोई स्पष्ट कारण प्रार्थनापत्र में अंकित नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रथम बार में तामिल न्यायालय द्वारा भिजवाई जायेगी एवं तामिल नहीं होने की स्थिति में ही चस्पानगी, रजिस्टर्ड डाक या अखबार प्रकाशन करवाया जायेगा एवं वह भी न्यायालय के आदेश

से, परन्तु दिनांक 25.9.2024 को रजिस्टर्ड डाक से तामिल जारी करने के कोई आदेश पारित नहीं हुये परन्तु वकील वादी द्वारा तामिल के नोटिस जो न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दिये जाने थे वकील वादी को दे दिये गये एवं वकील वादी द्वारा दूदू से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद के नाम से भिजवा दिये गये, बिना न्यायालय के आदेश के उक्त प्रकार करवाई गई तामिल प्रोपर तामिल नहीं है, न ही उक्त नोटिस कभी अपीलार्थी को प्राप्त हुये बल्कि डाक कर्मियों से मिली भगत करके वादी ने ही जिस प्रकार न्यायालय से नोटिस प्राप्त कर लिये थे उसी प्रकार अपने किसी व्यक्ति को नोटिस दिलवाकर वादी का नाम लिखवा दिया गया इस प्रकार की तामिल प्रोपर तामिल नहीं है एवं उक्त तामिल के आधार पर अपीलार्थी की एकतरफा कार्यवाही करते हुये पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री विधि के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी आराजीयात का खातेदार काश्तकार है जबकि रेस्पोडेन्ट अजनबी क्रेता है प्रस्तुत प्रकरण में अजनबी क्रेता द्वारा मूल खातेदार के विरूद्ध विशिष्ठ भूभाग पर कब्जा दर्शाते हुये नजरी नक्शा बनाकर दावा डिक्री करवाया है जो विधि के पूर्णतया विपरित है। अजनबी क्रेता को बिना विभाजन आराजीयात में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कहीं पर कोई कब्जा नहीं था। इसलिये उक्त निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। जब अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 6 की एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं बिना साक्ष्य लिये ही बिना दस्तावेजो के प्रदर्शित करवाये प्रश्नगंत निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 136/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2024 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि राजस्व ग्राम पालूकलां तहसील मौजमाबाद की जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 629 में आराजी नम्बर 435 रकबा 2.3269 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 2.32269 भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित है। विवादित आराजीयात अविभाजित कृषि भूमि है, जिसका विधिक तकासमा नहीं किया गया है मौके पर पक्षकारान अपने अपने हक व हिस्से के अनुरूप काबिज काश्त है तथा नालबट व मनबट बंटवारे के अनुरूप तथा संलग्न नजरी नक्शे के अनुरूप मौके पर इकजायी रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित अंकन अनुसार उत्तरी और का सीमा पर खसरा नम्बर 426, 447, 446 के लगवा दक्षिणी ओर मुताबिक नजरी नक्शा प्रतिवादी कमशः वादी, प्रतिवादी सं० 04, प्रतिवादी सं० 2. प्रतिवादी सं० 3 प्रतिवादी स० 5. प्रतिवादी सं० 1 संलग्न नजरी नक्शे अनुसार मौके पर सीमा एवं हद हदूद कायम कर काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसमें किसी प्रकार का मौके पर विवाद नहीं है, परंतु विधिक बंटवारा नहीं होने से वादी जो की अपनी भूमि को संपरिवर्तन करवाने एवं अन्य डवलपमेन्ट करवाने तथा राज्य सरकार के द्वारा देय लाभ परिलाभों से वंचित हो रहा तथा प्रतिवादी सं० 1 ल० 6 द्वारा आये दिन मेर–कोर, सीमा एवं हद–हदूद को लेकर विवाद होते रहते है। वादी एवं प्रतिवादी सं 01 ल० 06 कृषि कार्य आवागमन, कन्वर्जन एवं सुविधानुरूप डवलपमेन्ट में विधिक समस्यायें आये दिन उत्पन्न होकर खातेदारान के मध्य विवाद उत्पन्न हो गये है। मुताबिक नजरी नक्शा अपनी अपनी भूमि पर काबिज चले आ रहे है परंतु वादी जो की अपनी कृषि

भूमि को काफी रूपया पैसा खर्च कर अधिक उपजाउ बना लिया है इसलिये जबरन प्रतिवादी सं० 1 ल० 6 लाठी के बल पर कब्जा करना चाहते है तथा वादी के बने हुये हद हदुद, मेर कोर व सीमा को तोडकर नवीन सीमा कायम करना चाहते है, जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी सद्भाविक व कृषि पेशा व्यक्ति है तथा मौखिक सहमति अनुरूप अपने हक व हिस्से की भूमि पर इकजायी रूप से ख0न0 435 के उत्तरी ओर स्थित सीमा से प्रतिवादी सं० 6 के पश्चात पट्टीनुमा सीमा कायम कर काश्त कर अपने हक व हिस्से की भूमि पर काफी श्रम, धन व समय खर्च कर प्रतिवादी सं० 1 ल० 6 की वनस्पत अधिक उपजाउ बना लिया है। वर्तमान में वादी मौके पर कब्जे के आधार पर मुताबिक नजरी नक्शा लाल रंग से दर्शित किया गया है पर कब्जा चला आ रहा है तथा इसी अनुरूप बंटवारा करवाने का अधिकारी है। वादग्रस्त आराजीयात विधिक बंटवारा करवाकर मुताबिक कब्जे अनुरूप तकासमा करवाने हेतु कई मर्तबा निवेदन किया है परन्तु प्रतिवादी सं० 1 ल० 6 की विधिक बंटवारा करवाने से इंकार कर रहे है। जबकि एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अपनी कृषि भूमि का विधिक तकासमा एवं आधारभूत सुविधायें प्राप्त करने का अधिकार है। दिनांक 15.09.2024 को वादी अपनी खातेदारी भूमि की सार संभाल हेतु गया हुआ था। प्रतिवादी सं० 1 ल0 6 ने वादी को एलानीया धमकी दी की वादी के हक व हिस्से की भूमि ख०न० 435 जिसपर वादी का कब्जा काश्त है, जिसपर जबरन कब्जा करेंगे तथा कृषि भूमि को अकृषि भूमि बनाने की धमकी दी है। अगर प्रतिवादी सं० 1 ल० 6 अपेन अवैध मंसुबे में कामयाब हो गया एवं भमि को अकृषि योग्य बना दिया एवं वादी के कब्जे की आराजी पर बल से अविधिक रूप से कब्जा कर लिया तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई अर्थ में नहीं कि जा सकेगी इसलिए प्रतिवादी सं० 01 ल० 6 को विधिक बंटवारा होने तक जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त भूमियों में हिस्सा व नजरी नक्शे अनुसार विभाजन कराया जाकर वादीगण का वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 डिक्री फरमाई जाकर विवादित आराजीयात राजस्व ग्राम पालूकलां तहसील मौजमाबाद की जमाबंदी संवत 2075 में 2078 के खाता संख्या 629 में आराजी नम्बर 435 रकबा 2.3269 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 2.3269 भूमि मुताबिक संलग्न नजरी नक्शे एवं कब्जे अनुसार फरमाया जाकर लगान की फेटबंदी अलहदा अलहदा फरमाई जाकर वादी को स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावे एवं राजस्व अभिलेख में स्वतंत्र अंकन कराया जावे। वादी को विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि के बारे में वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 6 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान कराई जावे की वादीगण विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप कारित नहीं करे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत सी0जे0 2018(आर0सी0)हाई0कोर्ट0 137, आरआरटी 2017(1)एच0सी0 711, आरआरटी 2015(1)एच0सी0 232, आरबीजे (15) 2008 आरबी 526, आरआरटी 2021(2)आरबी 858(डी0बी0), आरबीजे 2012 (19) आर0बी0 152(डी0बी0), आरबीजे 2002(9) एच0सी0 198, आरबीजे 2016 आरबी 393 पेश किए।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। उक्त प्रकरण में वर्तमान अपीलांट अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 7.11.2024 को स्वीकार किया जाकर निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सम्यक नोटिस तामील के अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है जबकि अपीलांट उक्त विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है अतः साक्ष्य व जवाब प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान किए बिना उक्त आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह तथ्य दृष्टिगत होते है कि विवादित आराजीयात राजस्व ग्राम पालूकलां तहसील मौजमाबाद की जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 629 में आराजी नम्बर 435 रकबा 2.3269 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.3269 भूमि अपीलांट व वर्तमान रेस्पोडेंट्स के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि की आराजीयात है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 उपस्थित हुए व उनके द्वारा उक्त आराजीयात का विधिवत रूप से बंटवारा किया जाने पर उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है इस बाबत उनके द्वारा अपने जवाब दावे में इस बात की पुष्टि की गई। वर्तमान अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। चूंकि अपीलांट को उक्त आदेश की भली भांति जानकारी थी। अपीलांट को मूल वाद की सूचना तामील रजिस्टर में इंद्राज क्रमांक 916 दिनांक 25.9.2024 के द्वारा जरिए डाक प्रेषित की गई थी जिसकी तामील दिनांक 08.10.2024 को अपीलांट को हो गई थी। अपीलांट द्वारा जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए उक्त नोटिस अपीलांट को सम्यक रूप से प्रोपर तामील हुए है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में उनके विरूद्ध विधिसम्मत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट को जब नोटिस की जानकारी हो गई थी तो उनका यह दायित्व था कि वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते पर उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी प्रार्थना पत्र के निर्णय में यही माना है कि अपीलांट को नोटिस की तामील जरिए रजिस्टर्ड एडी की गई थी व तामील प्रोपर/सम्यक रूप से हुई थी, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाए जाने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को दिनांक 18.3.2025 को खारिज किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व ग्राम पालूकलां तहसील मौजमाबाद की जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 629 में आराजी नम्बर 435 रकबा 2.3269 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.3269 भूमि अपीलांट व वर्तमान रेस्पोडेंट के संयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमि की आराजीयात है। अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार कब्जे व नजरी नक्शे के आधार पर विभाजन किए जाने हेतु तहसीलदार, मौजमाबाद को मौका कमिशनर नियुक्त किया जाकर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की

पालना करते हुए अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के मध्य वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन किए जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किए गए। जो कि उचित है क्यों कि अपीलांट अपनी अपील के माध्यम से यह कहीं पर भी साबित नहीं कर पाए है कि उक्त निर्णय व डिक्री में किस प्रकार की त्रुटि कारित हुई है या उक्त आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में किसी पक्षकारान का हक व हिस्सा कम या ज्यादा किया गया हो। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से भी उठाए गए उज्रों को वह न्यायालय हाजा के समक्ष साबित कर पाने में विफल रहे है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विस्तृत विवेचन करते हुए पारित किया गया है, व उक्त निर्णय में उनके द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से उक्त अपील खारिज योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 136/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर